(126)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक रिव्यु 775–तीन/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–6–03 पारित द्वारा सदस्य, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर प्रकरण कमांक निगरानी 953–चार/03.

1– रामप्रसाद पुत्र सीताराम जाटव
2– मथुरा पुत्र ऊंकार
3– मदनलाल पुत्र धन्ना जाटव
4– रमेश पुत्र सीताराम जाटव
5– जगदीश पुत्र बद्रीलाल जाटव
6– विष्णुप्रसाद पुत्र भागीरथ
7– गंगाराम पुत्र दौलतराम जाटव
निवासीगण ग्राम सेमली कांकडा
तहसील खिचलीपुर जिला राजगढ़ .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– ग्रामवासीगण ग्राम सेमली कांकड
द्वारा सरदार सिंह पुत्र माधौसिंह
निवासी ग्राम सेमली कांकडा
तहसील खिचलीपुर जिला राजगढ
2– म0प्र0 शासन .....अनावेदकगण

श्री जितेन्द्र त्यागी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक क. 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/5/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह पुनर्विलोकन म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के अंतर्गत सदस्य, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–6–03 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार परगना खिचलीपुर जिला राजगढ़ द्वारा कलेक्टर के प्रकरण कमांक 535/अ–59/2000 में पारित आदेश दिनांक 22–6–2000 के प्रालन में ग्राम सेमली काकड की परिवर्तित भूमि का बंटन प्रकरण कमांक

43/अ–19/99–2000 आदेश दिनांक 31–7–2000 से आवेदकगण एवं एक अन्य को किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध बापूलाल एवं एक अन्य द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, खिचलीपुर–जीरापुर जिला राजगढ़ के समक्ष दिनांक 9–7–2001 को विलंब से अपील प्रस्तुत की गई, साथ ही विलम्ब क्षमा किये जाने हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 21–4–03 को आदेश पारित कर तहसीलदार द्वारा आदेश स्थिर रखा जाकर अपील निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक कमांक 1 द्वारा राजस्व मण्डल के समक्ष प्रकरण कमांक निगरानी 953–चार/03 प्रस्तुत की गई । राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 26–6–03 को आदेश पारित कर निगरानी स्वीकार की गई । राजस्व मण्डल के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इंदौर के समक्ष रिट पिटीशन नम्बर 3118/2012 प्रस्तुत की गई, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 6–2–2014 को आदेश पारित कर यथास्थिति के आदेश देते हुए प्रकरण का निराकरण गुण–दोष के आधार पर करने के निर्देश दिये गये । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के परिप्रेक्ष्य में आवेदकगण की ओर से यह पुनर्विलोकन आवेदन पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण भूमिहीन व्यक्ति होने के कारण शासन के नियमों के अन्तर्गत वर्ष 2000 में प्रश्नाधीन भूमि का पट्टा उन्हें स्वीकृत किया गया था, जिस पर आवेदकगण बिना किसी रोक–टोक के शांतिपूर्वक खेती करते चले आ रहे हैं । यह भी कहा गया कि राजस्व मण्डल द्वारा आवेदकगण, जो कि हितबद्ध पक्षकार हैं, को सुनवाई का अवसर दिये बिना एकपक्षीय रूप से ग्राह्यता के स्तर पर ही अंतिम आदेश पारित कर तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त करने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि राजस्व मण्डल द्वारा आवेदकगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना उनकी अनुपस्थिति में आदेश पारित किया गया है, इसलिए उक्त आदेश आवेदकगण पर बंधनकारी नहीं है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस न्यायालय का आदेश स्थगित कर प्रकरण का गुण–दोष के आधार पर प्रकरण का निराकरण करने के निर्देश दिये गये हैं । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि इस न्यायालय

का आदेश पूर्णतः अवैधानिक एवं अनियमित होने से निरस्त किया जाये एवं तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश यथावत रखे जायें ।

4/ अनावेदक 2 शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा उठाये गये आधारों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । इस न्यायालय के निगरानी प्रकरण कमांक 953–चार/03 में पारित आदेश दिनांक 26–6–03 के अवलोकन से स्पष्ट है तत्कालीन सदस्य, राजस्व मण्डल द्वारा बिना किसी आधार तथा जांच के आवेदकगण के पक्ष में स्वीकृत पट्टे निरस्त की गई है, जो कि विधिसंगत नहीं होने से निरस्त किया जाता है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि अनावेदक कमांक 1 ग्रामवासी ग्राम सेमली द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत निगरानी मेमों की प्रति शिकायत के रूप में जांच कर, नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु कलेक्टर को भेजी जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर